न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी बिन्दुबाला राजावत, आर.ए एस)

प्रकरण संख्या 144/2018 (वाद)
दायर दिनांक: 25.10.2018
निर्णय दिनांक 09.04.2026

अनवान

01. गणेश लाल पिता मांगीलाल जाट निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा
1/1 रमेश पिता गणेश लाल जाट निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा
1/2 सुरेश पिता गणेश लाल जाट निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगर
1/3 कमला पिता गणेश लाल पत्नि प्रकाश जाट निवासी गिलुण्ड, हाल गोवलिया
1/4 सीता पिता गणेश लाल पत्नि रमेश जाट निवासी गिलुण्ड, हाल खण्डेल
1/5 नोसर विधवा गणेश लाल जाट निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा
02. घनश्याम पिता पृथ्वीराज जाट निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा
03. मिठुलाल पिता पृथ्वीराज जाट निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा
04. रोशनलाल पिता पृथ्वीराज जान नाबालिक जरिये बविलात माता नन्दुबाई निवासी गिलुण्ड
05. नन्दुबाई पत्नि पृथ्वीराज जाट निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा

वादीगण

बनाम

01. जिला कलक्टर महोदय, राजसमन्द
02. तहसीलदार, तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् इन्द्राज दुरुस्ती, घोषणा एवं निषेधाज्ञा

:: निर्णय ::

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता के वाद बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा एवं निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्व ग्राम गिलुण्ड तहसील क्षेत्र रेलमगरा आराजी संख्या 542 रकबा 7–05 बीघा भूमि मौजुद है जो भूमि पूर्व में वादीगण के पूर्वाधिकारी भूरा वल्द भूवाना जाट निवासी गिलुण्ड के स्वामित्व आधिपत्य की गत सेटलमेन्ट की आराजी संख्या 1273 रकबा 8–16 बीघा थी, प्रमाण में नकल जमाबन्दी महकमे बन्दोबस्त राज्य मेवाड उदयपुर की सन् 1923 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत है। गत सेटलमेन्ट की आराजी सख्या 1273 रकबा 8–16 बीघा के वर्तमान आराजी संख 542 रकबा 10–05 बीघा बने जिसमें 8–05 बीघा भूमि किस्म बंझड होकर 2 बीघा भूमि किस्म रास्ता दर्ज है तथा वर्तमान जमाबन्दी सवत् 2069 से 72 के अनुसार उक्त आराजी संख्या 542 रकबा 7–05 बीघा भूमि किस्म बंझड होकर उक्त भूमि वादीगण के खातेदारी अधिकार के नाम से दर्ज नहीं होकर सेटलमेन्ट अधिकारियों की गलती से उक्त भूमि बिलानाम सिवाय चक काबिल काश्त के रूप में दर्ज हो गई। एवं इसी भूमि नामान्तरकरण संख्या 3920 के अनुसार किस्म चारागाह के रूप में दर्ज कर ली गई जबकि उक्त भूमि भी विरासत के आधार पर वादीगण के नाम पर दर्ज होनी आवश्यक थी। जो राजस्व अधिकारियों एवं भू–प्रबन्ध अधिकारियों की गलती से उक्त भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त सिवाय चक रूप में दर्ज कर ली गई जो गलत दर्ज होने से पुनः उक्त भूमि वादीगण के नाम पर दर्ज कराने के अधिकारी है। उक्त आराजी संख्या

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

542 रकबा 7–05 बीघा भूमि पर मौके पर आज भी वादीण का संयुक्त रूप से कब्जा आधिपत्य बला आ रहा है जिमसें 1/2 हिस्से में वादीगण गणेश पिता मांगीलाल जाट एवं 1/2 हिस्से में वादीगण घनश्याम मिठुलाल, रोशनलाल पिता पृथ्वीराज एवं नन्दुबाई बेवा पृथ्वीराज काबिज है। तथा इसी अनुसार काश्त करते चले आ रहे है मौके पर इनसे पुर्व वादीगण के पूर्वाधिकारी कब्जा काश्त में थी, जिससे उक्त भूमि वर्तमान आराजी संख्या 542 रकबा 7–05 बीघा भूमि गणेश पिता मांगीलाल जाट 1/2 एवं घनश्याम, मिठुलाल, रोशन (नाबालिक जरिये माता नन्दुबाई) पिता पृथ्वीराज एवं नन्दुबाई पत्नि पृथ्वीराज 1/2 निवासीयान गिलुण्ड के नाम पर विरासत से दर्ज होनी चाहिये जिससे उक्त अनुसार वादीगण इन्द्राज दुरुस्त कराने के अधिकारी है। जिसके लिये उक्त बाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। राजस्व कर्मचारी की गलती से सेटलमेन्ट में अंकित भूरा वल्द भवाना से विरासत के आधार पर भूरा के वारिस मांगीलाल एवं मांगीलाल कि मृत्यु पश्चात उनके पुत्र गणेश एवं पृथ्वीराज के नाम पर भूमि आनी चाहिये जो नहीं आकर उक्त भूमि बिलानाम काबिल कास्त सिवाय चक के रूप में गलत दर्ज कर ली गई। जबकि सेटलमेन्ट अधिकारियों को पूर्व की प्रविष्ठी को ही दौहराना चाहिये। जिससे उपरोक्त आशय के इन्द्राज बाबत् प्रतिवादीगण राज्य सरकार के प्रतिनिधि पक्षकार होने से उक्त इन्द्राज कराया जना नितांत आवश्यक है जिसके लिये उक्त बाद पत्र प्रस्तुत है। उक्त आशय की सूचना के साथ वादीगण के अधिवक्ता की ओर से दिनाक 13.3.2014 को विधिक रूप के वाद पेश करने से पूर्व धारा 80 जा.दी. के तहत प्रतिवादीगण राज्य सरकार के प्रतिनिधि पक्षकार को विधिक सूचना पत्र इस आशय का दिया गया कि सूचना पत्र प्राप्ति के पश्चात 2 माह की अवधि के दौराने आप राज्य सरकार गलत इन्द्राज दुरूस्त कराकर सही इन्द्राज के रूप में वादीगण के नाम पर वादग्रस्त भूमि दर्ज कराई जावे, इसके अलवा उक्त भूमि चूंकि वर्तमान में बिलानाम सिवाय एक चक काबिल काश्त दर्ज है जिससे इस भूमि के आवंटन सम्बन्धी कोई कार्यवाही भी निष्पादित नहीं करावे अन्यथा उक्त अवधि पश्चात वादीगण की ओर से विधि अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया जायेगा। जिसके हर्जे खर्चे की जिम्मेदारी आपकी होगी जो सूचना पत्र प्राप्त होने के उपररान्त भी प्रतिवादीगण द्वारा उक्त इन्द्राज दुरूस्ती बाबत् कोई कार्यवाही नहीं की गई जिससे वादीगण की ओर से उक्त बाद प्रस्तुत किया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। वर्तमान में उक्त भूमि बिलानाम सिवाय चक काबिल काश्त के रूप में गलत रूप से दर्ज हो जाने से प्रतिवादीगण अवैद्य रूप से उक्त भूमि अन्य पक्षकारान को अन्तरित करने, अलोटमेन्ट करने पर उतारू हो रहे है जिससे उक्त गलत अलोटमेन्ट रूकवाया जाना भी वादीगण के लिये नितान्त आवश्यक हो गया है जिससे उनके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा भी जारी कराई जानी आवश्यक है अन्यथा वादीगण को भारी गंभीर व अपूरणीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में की जानी नितान्त असंभव है। वादीगण के अधिवक्ता की ओर से धारा 80 जा.दी. का सूचना पत्र प्रतिवादीगण को दिया गया जो सूचना पत्र प्रतिवादीगण को दिनांक 13.03.2014 एवं 14.03.2014 को प्राप्त होने के उपरान्त भी निर्धारित अवधि 2 माह दिनांक 14.05.2014 तक भी कोई कार्यवाही नहीं करने से एवं वादीगण को उक्त कार्यवाही करने से प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया जिससे वादीगण का अन्तिम वाद हेतु दिनांक 25.05.2014 को बमुकाम रेलमगरा में उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर निम्न आशय की डिक्री यो फरमाई जावे कि आराजी संख्या 542 रकबा 7–05 बीघा भूमि बिलानाम सिवाय चक काबिल काश्त से हटाई जाकर उक्त इन्द्राज दुरूस्त कराते हुये वादीगण के संयुक्त खातेदारी अधिपत्य की घोषित फरमाई जावे जिसमें 1/2 हिस्सा गणेश पिता मांगीलाल, एवं 1/2 हिस्सा घनश्याम, मिठुलाल, रोशनलाल पिता पृथ्वीराज एवं नन्दुबाई बेवा पृथ्वीराज जाट निवासी गिलुण्ड के नाम पर राजस्व अभिलेख में अंकन फरमाते हुए इसी अनुसार घोषणा फरमाई जावे। कि उक्त भूमि के

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

सम्बन्ध में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का कोई अन्तरण या अलोटमेन्ट किसी भी व्यक्ति विशेष, संस्था, निगम या निकाय को नहीं करे एवं न ही वादीगण को मौके से बेदखल करावे इसके लिये प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया कि वादपत्र का कॉलम संख्या 01 अस्वीकार है, प्रार्थी ने राज्य मेवाड उदयपुर की सन् 1923 की प्रति को आधार बना वाद प्रस्तुत किया है जबकि आर.टी.ए. 1955 अपने पूर्वगामी प्रभाव नहीं रखता है वाद काबिज खारिज है। कॉलम संख्या 02 वादी स्वयं सिद्ध करें। कॉलम संख्या 03 हिस्सा व बंट से सम्बन्धित है वादी स्वयं सिद्ध करें। कॉलम सख्या 04 अस्वीकार है। कॉलम संख्या 05 वादी स्वयं सिद्ध करें। कॉलम संख्या 06 व 07 धारा 80 जा.दी. नोटिस के बारे में वादी स्वयं सिद्ध करें। कॉलम संख्या 08 व 09 वाद पत्र का औपचारित भाग है।

उपरोक्त दावे एवं जवाबदावें अनुसार निम्न तनकियात विरचित की जाती है।

01. आया ग्राम गिलुण्ड की आराजी संख्या 542 रकबा 7–05 बीघा पूर्व में वादीगण के पूर्वाधिकारी भूरा वल्द भुवाना जाट के स्वामित्व आधिपत्य की थी जिसके गत सेटलमेन्ट की आराजी संख्या 1273 रकबा 8–16 बीघा है।

वादीगण

02. आया आराजी सख्या 542 रकबा 7–05 बीघा भूमि राजस्व अधिकारियों कि गलती से बिलानाम गैर काबिज काश्त सिवाय चक दर्ज हो गयी है जो पुनः वादीगण दुरूस्त कराकर अपने नाम पर दर्ज कराने के अधिकारी है।

वादीगण

03. आया वादीगण ने राज्य मेवाड़ उदयपुर की सन् 1923 कि प्रति को आधार बनाकर वाद पेश किया है जबकि आर.टी.ए. 1955 अपने पूर्वगामी प्रभाव नहीं रखता है। जिससे वाद खारिज होने योग्य है।

प्रतिवादी

वादीगण ने अपनी तनकियात के समर्थन में गवाह पी डब्ल्यू–01 सुरेश चन्द्र पिता गणेश लाल जाट, पी डब्ल्यू– 02 मीठु लाल पिता पृथ्वीराज, पी डब्ल्यू– 03 रोशन लाल पिता रतन लाल जाट, पी डब्ल्यू–04 सुरेशचन्द्र पिता मोहनलाल बैरवा, रमेश पिता गणेशलाल जाट का शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा दस्तावेज वर्तमान नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–01, वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–02. वादीगण की खातेदारी भूमि की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–03 व 04, सूचना पत्र धारा 80 जा.दी. की प्रति प्रदर्श–05, पोस्टल ओर्डर की प्रति प्रदर्श–06 व 07, प्राप्ति रसीद प्रदर्श 08 व 09, मेवाड सेटलमेन्ट का नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–10, मिलान खसरा पत्रक की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 11 व 12 व महकमें बन्दोबस्त मेवाड सेटलमेन्ट के खसरा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–13 के प्रस्तुत किये गये।

उभय पक्ष कि बहस सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता ने दौराने बहस लिखोत बहस प्रस्तुत कि गयी औरे निवेदन किया कि वादीगण की और से एक वाद माननीय आप न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम गिलुण्ड की आराजी संख्या 542 रख्या 7.05 बीघा भूमि पूर्व में वादीगण के पुर्वाधिकारी भुरा वल्द भुवाना जाट, के स्वामित्व एंव आधिपत्य की गत सैटलमेन्ट की आराजी संख्या 1273 रकबा 8.16 बीघा थी जिसके प्रमाण में महदमें

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

बदोवस्त राज्य मेवाड़, उदयपुर की सन 1923 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति वाद के साथ प्रस्तुत की गई जिसमें वादीगण की और से यह अभिवचन किये गये कि सेटलमेन्ट की आराजी संख्या 1273 रकबा 8.16 बीघा के वर्तमान आराजी संख्या 542 रख्या 10.05 बीघा बने थे जिसमें से 8.05 बीघा भूमी किस्म बजड होकर दो बीघा भूमी किस्म रास्ता दर्ज हैं जिसके प्रमाण में भु प्रबन्ध विभाग के खसरा प्रत्रक की प्रति भी प्रस्तुत की गई। यह कि उक्त वाद मे वादीगण द्वारा अभिवचन किया कि वर्तमान जमाबन्दी सवात 2069 से 2072 के अनुसार आराजी संख्या 542 का रकबा 7.05 बीघा भूमि किस्म बजड दर्ज हैं जो सेटलमेन्ट अधिकारीयो कि गलती है उक्त भूमी वादीगण के पुर्वाधिकारियों के नाम से हटकर बिलानाम सिवाय चक काबिल काश्त के रूप में दर्ज हो गई जबकि काश्त वादीगण द्वारा ही करीब 50 वर्षों से भी अधिक समय से की जा रही हैं तथा उक्त भूमिमे से एक बीघा भूमि बिलानाम रहने के दौरान राज्य सरकार द्वारा चारागाह नामान्तरकरण संख्या 3920 के जरिये दर्ज कर उसके बटटा नम्बर 542/1 दर्ज कर लिया गया जबकि उक्त सम्पूर्ण आराजी संख्या 542 के वास्तविक हक, अधिकार एव खातेदारी अधिकार विरासत के आधार पर वादीगण के दर्ज किये जाने आवश्यक थे, जो नहीं कर गलत इन्द्राज करने से राज्य सरकार के विरुद्ध उक्त दावा इन्द्राज दुरुस्ती एंव खातेदारी घोषणा बाबत् वादीगण की और से प्रस्तुत किया गया। यह कि उक्त वाद मैं यह भी अभिवचन किये गये कि आराजी संख्या 542 रख्या 7.05 बीघा भूमि मौके पर आज भी वादीगण के ही संयुक्त अधिपत्य मैं चली आ रही है तथा जिसमें 1/2 हिस्से में वादी गणेश मृतक के बजाय उनके वारिसान एंव का 1/2 हिस्से में अन्य वादीगण घनश्याम, मिठुलाल, रोशन लाल पिता पृथ्वीराज व नंदुबाई बेवा पृथ्वीराज का कब्जा होकर इसी अनुरूप वादीगण उक्त भूमी के विरासत से हिस्सेदार काश्तकार है तथा उसी अनुतार खातेदारी हक, की घोषणा कराने के अधिकारी है। जो राजस्व विभाग के अधिकारियो द्वारा गलती से सरकार के नाम दर्ज कर ली गई जिसे पुनः इन्द्राज दुरुस्ती व घोषणा की डिग्री के जरिये वादीगण खातेदारी घोषणा करायी जावे।

उभय अधिवक्ता की बहस सुनने के पश्चात् तनकी वाईज निर्णय इस प्रकार है :–

तनकी संख्या –1 व 2 वादीगण ने अपनी तनकियात के समर्थन में गवाह पी डब्ल्यू–01 सुरेश चन्द्र पिता गणेश लाल जाट, पी डब्ल्यू– 02 मीठु लाल पिता पृथ्वीराज, पी डब्ल्यू– 03 रोशन लाल पिता रतन लाल जाट, पी डब्ल्यू–04 सुरेशचन्द्र पिता मोहनलाल बैरवा, रमेश पिता गणेशलाल जाट का शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा दस्तावेज वर्तमान नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–01, वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–02. वादीगण की खातेदारी भूमि की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–03 व 04, सूचना पत्र धारा 80 जा.दी. की प्रति प्रदर्श–05, पोस्टल ओर्डर की प्रति प्रदर्श–06 व 07, प्राप्ति रसीद प्रदर्श 08 व 09, मेवाड सेटलमेन्ट का नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–10, मिलान खसरा पत्रक की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 11 व 12 व महकमें बन्दोबस्त मेदाड सेटलमेन्ट के खसरा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–13 के प्रस्तुत किये गये। महकमें बन्दोबस्त मेवाड सेटलमेन्ट के खसरा में आराजी संख्या 1273 भूरा वल्द भवाना जाट सा.देह के नाम दर्ज रेकार्ड है तथा गत भू (प्रबन्ध) सेटलमेन्ट विभाग के खसरा मिलान पत्रक में आराजी संख्या 1273 के कॉलम संख्या 21 से 23 में कमशः सरकार, बिलानाम व सिवाय चक अंकित है। वादी द्वारा मेवाड सेटलमेन्ट से गत भू (प्रबन्ध) सेटलमेन्ट के मध्य का कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रार्थी ने राज्य मेवाड उदयपुर की सन् 1923 की प्रति को आधार बना वाद प्रस्तुत किया है जबकि आर.टी.ए. 1955 अपने पूर्वगामी प्रभाव नहीं रखता है उक्त वाद हिस्सा व बंट से सम्बन्धित है जिससे उक्त तनकीयात वादी विरूद्ध प्रतिवादी के तय की जाती है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

तनकी संख्या– 3 उक्त तनकी साबित कराने का भार प्रतिवादी पर था। प्रार्थी ने राज्य मेवाड उदयपुर की सन् 1923 की प्रति को आधार बना वाद प्रस्तुत किया है जबकि आर.टी.ए. 1955 अपने पूर्वगामी प्रभाव नहीं रखता है उक्त वाद हिस्सा व बंट से सम्बन्धित है वादी स्वयं सिद्ध करें। प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। वाद काबिल खारिज योग्य है।

पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर जाहिर आया किया महकमें बन्दोबस्त मेवाड सेटलमेन्ट के ख़सरा में आराजी संख्या 1273 भूरा वल्द भवाना जाट सा.देह के नाम दर्ज रेकार्ड है तथा गत भू (प्रबन्ध) सेटलमेन्ट विभाग के खसरा मिलान पत्रक में आराजी संख्या 1273 के कॉलम संख्या 21 से 23 में कमशः सरकार, बिलानाम व सिवाय चक अंकित है। वादी द्वारा मेवाड सेटलमेन्ट से गत भू (प्रबन्ध) सेटलमेन्ट के मध्य का कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया कि जिससे यह स्पष्ट हो सके कि इस दौरान उक्त भूमि किस के नाम रही थी। ऐसी स्थिति में वादी दस्तावेजी साक्ष्य से अपने वाद को साबित करने में असफल रहा है।

अतः वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 आर०टी०ए० का अस्वीकार किया जाता है। इसी अनुरूप डिकी पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2026 सरे इजलास सुनाया गया।

(बिन्दुबाला राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

संख्यांक नं0 1

मूल वाद में अंतिम डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला–राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 144/2018

अनवान

वादीपक्ष :–

1– 01. गणेश लाल पिता मांगीलाल जाट निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा
1/1 रमेश पिता गणेश लाल जाट निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा
1/2 सुरेश पिता गणेश लाल जाट निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगर
1/3 कमला पिता गणेश लाल पत्नि प्रकाश जाट निवासी गिलुण्ड, हाल गोवलिया
1/4 सीता पिता गणेश लाल पत्नि रमेश जाट निवासी गिलुण्ड, हाल खण्डेल
1/5 नोसर विधवा गणेश लाल जाट निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा
02. घनश्याम पिता पृथ्वीराज जाट निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा
03. मिठुलाल पिता पृथ्वीराज जाट निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा
04. रोशनलाल पिता पृथ्वीराज जान नाबालिक जरिये बविलात माता नन्दुबाई निवासी गिलुण्ड
05. नन्दुबाई पत्नि पृथ्वीराज जाट निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा

बनाम

प्रतिवादी पक्षः–

01. जिला कलक्टर महोदय, राजसमन्द
02. तहसीलदार, तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

दावा :– वाद अन्तर्गत धारा 88,136 रा.का.अधि. 1955

वादी की ओर सेः– अधिवक्ता रोशनलाल साहु
प्रतिवादी की ओर सेः– पैरोकार सरकार

मे इस आशय में दिनांक 09.04.2026 के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88,136 आर०टी०ए० का अस्वीकार किया जाता है।

आज दिनांक को 09.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की गोल मोहर लगाकर जारी की गई।

(बिन्दुबाला राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा